"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक ई-1-8/2013/एक/2.—राज्य शासन द्वारा संभाग के लिये विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी का अस्थाई असंवर्गीय पद सृजित किया गया है. अत: प्रशासनिक अमले के साथ-साथ जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य से आवश्यक तालमेल इत्यादि की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद के लिये अपेक्षित भूमिका अनुरूप निम्नानुसार दायित्व सौंपे जाते हैं.

1. द्रुतगति से बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण से उद्भूत जन-समस्याओं के निराकरण की पहल.

2. औद्योगिकीकरण एवं अन्य कारणों से पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव और उससे संबंधित समस्याओं के निराकरण बाबत्.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. कृषि, मत्स्याखेट, पेयजल एवं औद्योगिकीकरण की जल आपूर्ति एवं मांग के बीच जल संसाधनों के आवंटन में सामंजस्य संबंधी पहल.

4. भू-अर्जन की समस्याओं एवं उसके निदान के लिये विभिन्न मैदानी, जिला स्तर के अमलों के बीच समन्वय बनाना.

5. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निवेशित परियोजनाओं के प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ-जन-प्रतिनिधियों से आवश्यक तालमेल बनाना.

6. नवीन रेल कॉरीडोर के निर्माण से संबंधित अन्तर्जिला एवं अंतर्संभागीय (बिलासपुर-सरगुजा संभागों के बीच) प्रशासनिक समन्वय.

2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त समय-समय पर परिस्थिति पर निर्मित एवं आधारित आवश्यकतानुसार अन्य विशिष्ट एवं दायित्व भी सौंपे जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 6-27/सात-1/2011.—छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्र. 7 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F-6-27/Seven-1/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005) the State Governmnet hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Evam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Serial number 1 of column (2) of Schedule-I, for the words "On land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be substituted.

2. In Serial number 1 of column (2) of Schedule-II, for the words "On land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्रमांक 311/1952/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री भूपेन्द्र राठौर, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 26-08-2010 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक महासमुन्द नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10 -व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्रमांक 313/1952/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री जितेन्द्र कुमार साहू, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 26-08-2010 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक महासमुन्द नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10 -व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्रमांक 564/1952/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री योगेन्द्र ताम्रकार, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10 -व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 1-25/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"6. **भर्ती का तरीका.—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ग) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा तथा कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.

उपरोक्त रीति से छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती क्रमशः 5, 50 तथा 45 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी."

2. नियम 6 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी."

3. नियम 11 के उप-नियम (दो) के खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को आयुक्त/संचालक द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर सेवा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनके नाम चयन सूची से विलोपित कर दिये जायेंगे."

4. अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

सेवा का नाम/पद का नाम	भर्ती का तरीका	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा			
1. सहायक कोषालय अधिकारी	(क) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा.	05	आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़."
2. उप कोषालय अधिकारी	(ख) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.	50	

(1)		(2)	(3)	(4)
3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण केन्द्र 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी.	(ग)	कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न उन व्यक्तियों के चयन द्वारा, जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.	35	
	(घ)	कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के उन व्यक्तियों के चयन द्वारा, जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.	10	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 10-1/2014/मबावि/50.—श्री यशवंत जैन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 15-12-2013 को पूर्ण होने के फलस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम-2009 की धारा 7 (4) के निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय सदस्य श्री रजनीश शुक्ला को आयोग में अध्यक्ष पद पर नवीन नियुक्ति होने तक, आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-13/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2010/16 दिनांक 01-12-2010 एवं क्रमांक एफ 10-35/2010/16 दिनांक 17-06-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए

निम्नानुसार कॉलम 02 में विनिर्दिष्ट कर्मकारों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	कर्मकारों के प्रवर्ग (2)
1.	पत्थर काटने वाले, पत्थर तोड़ने वाले एवं पत्थर पीसने वाले
2.	राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले
3.	बढ़ई (कारपेंटर) लकड़ी की सामग्रियों में पेंटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार
4.	पुताई करने वाले (पेंटर)
5.	फिटर या बार बेंडर
6.	सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
7.	इलेक्ट्रीशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
8.	मैकेनिक
9.	कुएं खोदने वाले
10.	वेल्डिंग करने वाले
11.	मुख्य मजदूर
12.	मजदूर (रेजा कुली)
13.	स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे हुए)
14.	लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले
15.	कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर
16.	हथौड़ा चलाने वाले
17.	छप्पर डालने वाले
18.	लोहार
19.	लकड़ी चीरने वाले
20.	कॉलकर
21.	मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले सहित)
22.	पंप ऑपरेटर
23.	मिक्सर मशीन चलाने वाले
24.	रोलर चालक
25.	बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
26.	चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड
27.	मोजाईक पॉलिश करने वाले
28.	सुरंग कर्मकार
29.	संगमरमर/कड़प्पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
30.	सड़क कर्मकार
31.	चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार
32.	सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले
33.	चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार
34.	बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार
35.	बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण प्रक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
36.	ईटभट्ठा, खपरा, फ्लाई ऐश, टाईल्स मजदूर
37.	पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार
38.	बंसोड़
39.	कुम्हार
40.	सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार
41.	रेत या गिट्टी मजदूर
42.	निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक

(1)	(2)
43.	एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों की फिटिंग/मरम्मत करने वाले कर्मकार
44.	लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार
45.	भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार
46.	लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार
47.	सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने/मरम्मत करने वाले कर्मकार
48.	माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले/लगाने वाले कर्मकार
49.	पी.ओ.पी. का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज-सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
50.	सेन्ट्रींग कर्मकार
51.	सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार
52.	जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार
53.	कांच एवं Glass Panels की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
54.	खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार
55.	बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिगनल, संकेतक (साइन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार
56.	फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार
57.	सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्रमांक/552/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनुपुर	छैला	8.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यप. योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्रमांक/553/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सुकलीभाठा	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यप. योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्रमांक/554/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	दिवानमुडा	3.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यप. योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/5345/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनुपुर	बरही	0.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यप. योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/5346/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनुपुर	चनाभाठा	3.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जल प्लावन योजना शाखा मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन 01 अ/82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	निष्ठीगुड़ा	0.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	तेल नदी ईननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन 02/अ/82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सुपेबेड़ा	0.67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	तेल नदी ईननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन 03/अ/82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	मोटरापारा	0.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	तेल नदी ईननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत कुमार पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक 07/क/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मेंहदा प.ह.नं. 53	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा (छ.ग.)	अवरीद धाराशिव मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कर्राजोर प.ह.नं. 36	0.453	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी.क्र. 3530 मी. से 4910 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतरा प.ह.नं. 19	2.107	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कुरमापाली प.ह.नं. 18	1.948	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत औराभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कुरमापाली प.ह.नं. 18	0.486	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिजिंर प.ह.नं. 03	1.052	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत केनसरा माइनर लिजिंर माइनर एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुर्री प.ह.नं. 04	0.341	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी. क्र. 1380 मी. से 3210 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा प.ह.नं. 37	0.853	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोरउमरिया वितरक (आर.डी. क्र.- 4640 मी. से 6760 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिहा प.ह.नं. 37	0.165	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोरउमरिया वितरक (आर.डी. क्र.- 6760 मी. से 7580 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिछोरउमरिया प.ह.नं. 41	0.060	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोरउमरिया वितरक नहर (आर.डी. 7580 मी. से 10100 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टिनमिनी प.ह.नं. 41	0.041	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोरउमरिया वितरक (आर.डी. क्र.-10100 मी. से 10960 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ–82/2013–14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिंच प.ह.नं. 36	0.765	कार्यपालन अभियंता, केलो परि–योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी. क्र. 5590 मी. से 6990 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ–82/2013–14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लोहरसिंह प.ह.नं. 04	0.498	कार्यपालन अभियंता, केलो परि–योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी. क्र. 430 मी. से 1380 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सारसमाल प.ह.नं. 36	0.141	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी. क्र. 4910 मी. से 5590 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जामपाली प.ह.नं. 36	0.109	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर (आर.डी. क्र. 3210 मी. से 3530 मी. तक) नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 404/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 38/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खंडवा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	8	3.54
योग	1	3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु फेस-2 में ईस्ट क्रास रोड-13 के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 405/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 39/अ-82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खंडवा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	576	0.05
योग	1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु ए.डी. रोड नंबर-5 के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 406/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 32/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कोटराभाठा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212	0.06

(1)	(2)
213	0.02
249/1	0.30
252/3	0.05
253	0.26
254	1.54
271	0.03
272/2	0.40
385/1	0.56
385/6	0.72
410/1(क)	0.56
429/1	0.32
योग 12	4.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 407/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 26/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
508	1.39
509/1	0.17
688	2.93
योग 3	4.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में योजना क्षेत्र/लेयर-01 अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 408/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 36/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खंडवा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32	0.43
235	0.25
342	0.22
योग 3	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु ईस्ट ऐव्हेन्यू रोड पार्ट-1 के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक 409/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 35/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-आरंग
 (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 18
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	151	0.09
	153/1	0.08
	153/2	0.01
	154/1	0.03
	154/2	0.07
	199/1	0.03
	199/2	0.05
	200	0.08
	201/1	0.03
	201/2	0.02
	202	0.04
	203	0.06
	206	0.03
	207	0.03
	208	0.06
	211	0.10
	212	0.03
	215	0.03
	217	0.11
	233	0.03
	236	0.02
	237/1	0.01
	237/2	0.01
	237/3	0.01
	238	0.05
योग	25	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर योजना क्षेत्र/लेयर-01 अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्रमांक/01/बंधक/श्रम/राज./2013.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा-3 के अनुसार मोहला अनुविभाग के लिये निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र.	नाम व पदनाम	समिति में पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री सी. एल. मारकण्डेय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मोहला	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
2.	(1) श्री माखन चौरे, अं. चौकी	सदस्य
	(2) श्री जगतराम कुमेटी, सदस्य सहकारी समिति, चिल्हाटी (निवासी-ग्राम ओटेबांधा)	सदस्य
	(3) श्री बी. एल. मेश्राम, सेवानिवृत्त व्याख्याता, अं. चौकी	सदस्य
3.	(1) श्री रामकृष्ण चंद्रवंशी, पूर्व ज.पं.अ., निवासी-मोंगरा, अं. चौकी	सदस्य
	(2) श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, अं. चौकी	सदस्य
	(3) श्री राम चौरे, सरपंच, मुड़पार, तह. अं. चौकी	सदस्य
4.	(1) श्री तातूराम भूआर्य, जि.ज.स., निवासी-ग्राम चांपाटोला, तह.-मोहला	सदस्य
	(2) श्री नीलू तुलावी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहला, तह. मोहला	सदस्य
5.	(1) श्री श्याम लाल ठाकुर, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., मोहला	सदस्य
6.	(1) श्री व्ही. एन. चंद्रवंशी, तहसीलदार, मोहला	सदस्य/सचिव

राजनांदगांव, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्रमांक/02/बंधक/श्रम/राज./2013.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा-3 के अनुसार खैरागढ़ अनुविभाग के लिये निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	श्री डी. एन. कश्यप, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खैरागढ़	अध्यक्ष
2.	(1) श्री बहादुर कुर्रे, निवासी-खम्हरिया खुद (खैरागढ़)	सदस्य
	(2) श्री संतराम छेदैया, निवासी-ग्राम जंगलपुर, तह. खैरागढ़	सदस्य
	(3) श्री जीवनदास रात्रे, निवासी-गण्डई, तहसील-छुईखदान	सदस्य
3.	(1) श्री सुभाषसिंह, अधिवक्ता, निवासी-सिविल लाईन, खैरागढ़	सदस्य
	(2) श्री राजकुमार जैन, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव	सदस्य
4.	(1) श्री जी. एस. नायक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खैरागढ़	सदस्य
	(2) श्री आर. सी. मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुईखदान	सदस्य
	(3) श्री चित्रदत्त दुबे, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक, जनपद पंचायत, खैरागढ़	
5.	(1) श्री एम. एल. चोपड़ा, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, खैरागढ़	सदस्य
6.	(1) श्री एम. आर. ध्रुर्वे, तहसीलदार, खैरागढ़	सदस्य/सचिव

राजनांदगांव, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्रमांक/03/बंधक/श्रम/राज./2013.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा-3 के अनुसार डोंगरगांव अनुविभाग के लिये निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	श्री ए. के. बाजपेयी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डोंगरगांव	अध्यक्ष
2.	(1) श्री रूखम चन्द्रवंशी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	सदस्य
	(2) श्री पदुम गंधर्व, नगर पंचायत, छुरिया	सदस्य
	(3) श्रीमति कुन्ती ठाकुर, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, छुरिया	सदस्य
3.	(1) श्री रविन्द्र वैष्णव, छुरिया	सदस्य
	(2) डा. बसीर अहमद, डोंगरगांव	सदस्य
4.	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	सदस्य
	(2) तहसीलदार, छुरिया	सदस्य
	(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया	
5.	(1) शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, डोंगरगांव	सदस्य
6.	(1) तहसीलदार डोंगरगांव	सदस्य/सचिव

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2012-13/6296.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री आर. जी. अहिरवार (सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी) को, कृषि उपज मण्डी समिति कटघोरा जिला कोरबा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. जी. अहिरवार (सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी) का पदोन्नत किया जाकर रायपुर पदस्थ किए जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. एस. चौहान अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कटघोरा, जिला-कोरबा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2012-13/6344.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/28 रायपुर, दिनांक 02-04-2012 द्वारा श्री जे. एस. काकोरिया (सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी) को, कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा, जिला-बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बेमेतरा का पत्र क्रमांक 377 दिनांक 13-01-2014 द्वारा श्री जी. एस. धुर्वे उपसंचालक कृषि को कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. एस. काकोरिया (सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी) पदोन्नत होकर प्राचार्य, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र अंबिकापुर में पदस्थ किये जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जी. एस. धुर्वे उपसंचालक (कृषि) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा जिला बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 152/दो-2-3/2005.—श्री छबिलाल पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर दिनांक 31-05-2013 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 29th October 2013

No. 7865/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred by under sub-section (3) Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confes the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Ekta Agrawal, Judicial Magistrate Second Class, Bilaspur.	Bilaspur	Bilaspur
2.	Shri Devendra Sahu, Judicial Magistrate Second Class, Dhamtari.	Tilda	Raipur
3.	Ku. Reshma Tigga, Judicial Magistrate Second Class, Dhamtari.	Dhamtari	Dhamtari

Bilaspur, the 30th October 2013

No. 72 (Mis)/I-7-3/2014 (Pt.-II).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Holidays for the Courts Subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2014 :—

S. No.	Name of Holiday	No. of day	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Milad-Un-Nabi	1	14-01-2014	Tuesday
2.	Mahashivratri	1	27-02-2014	Thursday
3.	Holi Holidays	2	17-03-2014 to 18-03-2014	Monday to Tuesday
4.	Ram Navami	1	08-04-2014	Tuesday
5.	Good Friday	1	18-04-2014	Friday
6.	Id-Ul-Fitr	1	29-07-2014	Tuesday
7.	Independence Day	1	15-08-2014	Friday
8.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2014	Thursday
9.	Dashera & Id-Ul-Zuha (Bakrid) Holidays	4	03-10-2014 to 06-10-2014	Friday to Monday
10.	Deepawali Holidays	4	22-10-2014 to 25-10-2014	Wednesday to Saturday
11.	Muharram	1	04-11-2014	Tuesday
12.	Gurunanak Jayanti	1	06-11-2014	Thursday
13.	Christmas	1	25-12-2014	Thursday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Republic Day, Mahavir Jayanti, Raksha Bandhan & Janmashtami fall on Suday, therefore, no Holiday is declared separately.

4. The Judicial Officer of Subordinate Courts shall be entitled to avail of Vacation for a period of maximum 15 days in a year during the Summer Vacation from 19-05-2014 to 13-06-2014 and Winter holidays from 26-12-2014 to 31-12-2014.

5. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Moharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The officers and employees of the Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2014.

7. The Subordinate Courts shall observe the Local Holidays as declared by the competent authority in respective Revenue Districts on account of local festivals of the Districts.

8. Subordinate Courts shall observe the holidays declared suddenly by the State Government without approval of the High Court.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्रमांक 8089/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर अपने घोषित कार्यस्थल भानुप्रतापपुर के अतिरिक्त कांकेर में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह जब तक नियमित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर के रिक्त न्यायालय में न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हो जाती है, बैठक करेंगे.

Bilaspur, the 8th November 2013

No. 8089/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Additional District & Sessions Judge, Bhanupratappur in addition to his place of sitting at Bhanupratappur declared shall also sit at Kanker for a week in every month till regular Additional Disrtict Judge is posted in the vacant Court of Additional District & Sessions Judge, Kanker.

Bilaspur, the 11th November 2013

No. 8100/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Parul Shrivastava, VIII Civil Judge Class-II-cum-Judicial Magistrate Second Class, Durg.

Bilaspur, the 12th November 2013

No. 79 (Mis)/I-7-3/2013 (Pt. I).—In the light of notification No. F 1-1/2013/1/5 dated 08-11-2013 of Government of Chhattisgarh, Raipur, 19th November, 2013 is declared holiday for the High Court & Registry on account of 2nd phase of polling of Legislative Assembly Elections.

Bilaspur, the 10th December 2013

No. 603/Confdl./2013/II-1-5/2013.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/05/2013-US.II dated 12th November, 2013 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava have assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh on 10th December, 2013 in the forenoon.

Bilaspur, the 10th December 2013

No. 8820/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Dular Singh, Civil Judge Class-II-cum-Judicial Magistrate Second Class, Balod.

Bilaspur, the 10th December 2013

No. 8822/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers upon Shri Dular Singh Civil Judge Class-II-cum-Judicial Magistrate Second Class, Balod to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

Bilaspur, the 13th December 2013

No. 609/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following candidates, as mentioned in Column No. (2) of the table below, who have been appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, are posted at the place and in the capacity as shown against their names in Column No. (4) with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this order;

The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (3) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No.	Name	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Sanjeev Kumar, S/o Shri Anant Ram, R/o Anant Vihar, Mirzapur Farm, P. O. Gurukul, District-Kuruksheta (Haryana) Pin-136118, P.S.-K.U.K.	Bastar (Jagdalpur)	II Additional District & Sessions Judge Jagdalpur.
2.	Shri Jaideep, S/o Shri Satyendra Kumar Garg, R/o House No. 201, Sector-17, Huda, Jagadhri PS City Jagadhri, Disrtict-Yamuna Nagar (Haryana) Pin-135003.	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge Kanker.
3.	Shri Santosh Kumar Tiwari, S/o Shri Vidhyadhar Tiwari, R/o "Vidhya bhawan" Chakradhar Nagar Banglapara, Raigarh, Teh. & District-Raigarh (C.G.) Pin-496001.	Surguja (Ambikapur)	IV Additional District & Sessions Judge Ambikapur.
4.	Shri Manvendra Singh S/o Shri Vijay Singh, Office of Deputy Director, Public Prosecution Rajnandgaon (C.G.)	Dakshin Bastar (Dantewada)	II Additional District & Sessions Judge Dantewara.
5.	Shri Rajbhan Singh, S/o Shri Mahadeo Singh, R/o House No. 52, Word No. 09, New Vakil Colony, Navapara, Thana & Disrtict-Surajpur (C.G.) Pin-497229.	Jashpur	Additional District & & Sessions Judge Jashpurnagar.
6.	Shri Mohan Prasad Gupta, S/o Shri Ramavtar Sah, R/o Ward No. 14, Near Power House, AT/ P.O. Ramanujganj, Disrict-Balrampur-Ramanuj-ganj (C.G.) Pin-497220.	Mahasamund	II Additional District & Sessions Judge Mahasamund

By Order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 9th December 2013

No. 541/L.G./2013/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dava, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 25-11-2013 to 30-11-2013 and permission to prefix holiday of 24-11-2013 (Sunday) & suffix holiday of 01-12-2013 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 23-11-2013 till before the Court hours of 02-12-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aformentioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 293 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्रमांक 176/दो-2-15/2002.—श्री अशोक कुमार पण्डा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्रमांक 177/दो-3-19/2008.—श्री एन. के. चन्द्रवंशी, एडीशनल रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-10-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्रमांक 178/दो-2-4/2006.—श्री आर. सी. एस. सामन्त, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्रमांक 179/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्रमांक 84/दो-11-07/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 2305/756/XXI-B/CG/06/2011 दिनांक 26-03-11 रजि.पृ.क्र. 222/गोप./2011/दो-2-25/2005 बिलासपुर दिनांक 28-03-2011 के द्वारा श्री अमृतलाल डहरिया, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी को दिनांक 29-03-2011 को अपरान्ह में सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में सेवानिवृत्ति-तिथि को शेष अर्जित अवकाश 263 दिवस में से पात्रतानुसार 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस) के नगदीकरण की स्वीकृति छ.ग. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 13040/XXI-B/CG/06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में प्रदान की जाती है.

आई. एस. उबोवेजा,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश.